

रियायती शुल्क दर के भुगतान से और जड़ित आभूषणों के संबंध में 5% के शुल्क पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में बिक्री करने की अनुमति दी गई है, (ii) केवल आभूषण उद्योग के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल योजना (ईपीसीजी) के अधीन शून्य शुल्क आयात के लिए आरंभिक सीमा को पूर्ववर्ती 20 करोड़ रु० के स्तर को घटाकर केवल 1 करोड़ रु० कर दी गई है, (iii) मूल्यवर्द्धन और रद्दी संबंधी मानकों का शुक्तीकरण (iv) प्लैटिनम/चांदी आभूषणों को भी पुनः पूर्ति लाइसेंस योजना के तहत ला दिया गया है (v) निर्यात संवर्द्धन दौरे के लिए 1,00,000 अमरीकी डालर तक के आभूषणों के नमूने निजी तौर पर ले जाने की अनुमति (vi) विदेशी बाजार में प्रदर्शनी/बिक्री के लिए बाउंडेड आभूषणों के निर्यात की स्वीकृति बशर्ते कि अगस्त-ईसे 180 दिनों में नहीं बेचा जाता है तो उसके 45 दिनों की भीतर वापस कर दिया जाए। (vii) निर्यातमुख एककों/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के एककों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) एककों से सोना/चांदी प्लैटिनम के बदले उप-संविदा आधार पर मशीन से निर्मित सोना/चांदी/प्लैटिनम आभूषण लेने की अनुमति दी गई है। (viii) एग्जिम नीति के प्रावधान के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू उपयोग और निर्यात दोनों के लिए सोना/चांदी/प्लैटिनम के आयात और आपूर्ति के लिए 13 बैंकों को प्राधिकृत किया है। इससे आभूषण निर्यातकों की कीमती धातुओं की उपलब्धता और आपूर्ति में पर्याप्त सुधार हो गया है। (ix) भारत सरकार द्वारा की गई पहल के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों के जरिए आभूषण निर्यातकों को सर्राफा की आपूर्ति पर से बिक्री कर को हटा लिया है और अधिकांश दूसरे राज्य सरकारों ने सरकार द्वारा नामित अभिकरणों/आरबीआई द्वारा प्राधिकृत बैंकों द्वारा निर्यातकों को सर्राफा की आपूर्ति पर वसूले जा रहे बिक्री कर की दर को काफी घटा दिया है।

(ग) वर्ष 1999-2000 के लिए आभूषणों के निर्यात के लक्ष्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

#### Impact of Indo-Sri Lanka Accord

628. SHRI N. R. DASARI:  
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention

has been drawn to the concern expressed by some sections in Kerala over the adverse effect of the Indo-Sri Lankan free trade agreement on the country in general and Kerala, in particular; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF COMMERCE  
(SHRI RAMAKRISHNA HEGDE):

(a) Yes, Sir.

(b) The Govt. of Kerala has written to the Central Govt. stating that provision of tariff concessions under the Indo-Sri Lankan Free Trade Agreement on agricultural items like coconuts and coconut products, natural rubber, tea and spices would adversely affect the interests of farmer in Kerala. Similar representations have also been received from other quarters in Kerala.

The concerns expressed are being given due consideration while finalising the lists of items on which tariff concessions are to be provided.

#### निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन

629. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

श्री कपिल सिब्बल:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चौल्व वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विभिन्न सुविधाओं और प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्यातकों और आयातकों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और प्रोत्साहनों की घोषणा कब की गई है और तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) इन घोषणाओं के कारण सरकार द्वारा अनुमानतः कुल कितनी धनराशि का भार वहन किए जाने का अनुमान है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) निर्यात नीति की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है। निर्यात आयात नीति से संशोधनों की घोषणा 13 अप्रैल, 98 को की गई थी। बाद में निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा 5 अगस्त, 98